बिहार सरकार
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

संख्या - 3035/रा० दिनांक- 30-12-13

आर० चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम परतापनगर थाना नं० 124 राजस्व थाना बिहपुर, अंचल नवगछिया, जिला भागलपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् विजय घाट के समीप कोशी नदी पर कुल 12 कि०मी० लम्बाई में पहुँच पथ गाईड बाँध निर्माण कार्य एवं उच्च स्तरीय आर० सी० सी० पुल निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वार अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम परतापनगर थाना नं० 124 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश 3.01½ एकड़ जो कुल 3.01½ एकड़ के बराबर होता है, जिसका खसरा संख्या निम्न प्रकार है –

पूर्ण खेसरा नं० 11844, 11845 तथा अंश खसरा नं० 11824, 11842, 11843, 11778, 11774, 11847, 11849 एवं 11850

उत्तर – अंश खसरा नं० 11824, 11842, 11843 एवं 11778

पुरब – अंश खसरा नं० 11778, 11774, 11847, 11849 एवं 11850

दक्षिण – अंश खसरा नं० 11774, 11778, 11847, 11849, 11850 एवं सीमाना मौजा लुकमानपुर थाना नं० 29 है।

पश्चिम – अंश खसरा नं० 11824, 11842, 11843 एवं सीमाना मौजा लुकमानपुर थाना नं० 29 है।

यह अधिसूचना अधिनियम 1,1894 यथा संशोधित 1984 एवं बिहार संशोधित अधिनियम 11 जून 1961 की धारा (4) के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो।

उक्त भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार के राज्यपाल, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से सम्बद्ध आरम्भिक अनुसंधान में तत समय लगे बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के कर्मचारियों एवं पदाधिकारीयों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 (क) की उप धारा संख्या (2) यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते है और बिहार राज्यपाल की राय में उक्त भूमि कृषि योग्य है तथा उसका अर्जन तुरंत आवश्यक है। इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने यह निश्चय किया है कि परियोजना की शीध्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5 'अ' के उपबन्ध उक्त भूमि/भूमियों पर लागू नहीं होगें।

समाहर्त्ता,
भागलपुर
कृ0पृ0उ0

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप सं0 – 14/डी0एल0ए0, भागलपुर (विजय घाट कोशी पुल)– 9/13 -3035 /रा० दि०-30-12-13

प्रतिलिपि 1. तीन प्रतियां सी0 डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, भागलपुर को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5 प्रतियां जिला भू–अर्जन कार्यालय को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. समाहर्त्ता/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/12/13
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।